न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2025 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्रीमती इटली पत्नी कान्ति पिता जवरा, जाति मीणा, निवासी सलाखडी, तहसील चीखली, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. कमा पिता रूपा डामोर, जाति मीणा, निवासी पियोला, तहसील चीखली, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. कानजी पिता मनजी बामणिया, जाति मीणा, निवासी पियोला, तहसील चीखली, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. खातु पिता हीरा डामोर, जाति मीणा, निवासी पियोला, तहसील चीखली, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चीखली, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चीखली दिनांक 02.08.2024, प्रकरण सं0 01/2022

---/---

उपस्थित :– 1. श्री सूर्यसिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 09–09–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पारिवारिक खून के रिश्ते में सगे पिता पुत्री हैं। वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी की आराजी नंबर 114, 139, 140, 147, 154 कुल खेत 5 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम पियोला में स्थित है, जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की पुत्री होकर वादी के साथ रहती है व [illegible] सेवा चाकरी करती है, वादी की उक्त भूमि विक्रय करने हेतु अन्य व्यक्ति को खेत दिखाने लायी तथा कहती है कि मेरी जमीन है मैं बेच सकती हूँ, तो वादी ने जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो पता चला [illegible] प्रतिवादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

वादी को धोखे में रखकर बक्षीसनामा सम्पादित करवा लिया है तथा भूमि अपने नाम पर दर्ज करवा ली है। प्रतिवादी द्वारा वसीयतनामा सम्पादित करने के बजाय धोखे से बक्षीसनामा सम्पादित करवा लिया गया है, जो वादी के मुकाबले प्रभावहीन है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी नंबर 114, 139, 140, 147, 154 कुल खेत 5 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा के 1/5 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर बक्षीसनामे को प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियां कायम की गयी एवं दिनांक 02–08–2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार का विवादित आराजियात के 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए संपादित बक्षीसनामा व नामान्तरकरण को शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–01–2025 को प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यसिंह राठौड़ उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन कभी भी प्राप्त नहीं हुए, जिससे अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हो गया एवं अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 14–01–2025 को मकर संक्रान्ति पर गांव जाने पर [illegible] व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण की कभी भी तामील नहीं हुई है। वादी ने मिली भगत के आधार पर षडयंत्र कर गलत रिपोर्ट करवाकर सम्मन अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर भिजवाये हैं, जिससे अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाने से अपीलान्टगण अपना पक्ष रखने से वंचित हो गये। बक्षीस निरस्ती का अधिकार सिविल न्यायालय को है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्यों का विवेचन किये वादी को खातेदार मानते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। बक्षीसनामा व नामान्तरकरण को शून्य व प्रभावहीन घोषित कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बक्षीसनामा व नामान्तरकरण को शून्य प्रभावी घोषित किया है, जो उनकी अधिकारिता में नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

7. रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड बक्षीसनामा दिनांक 21–01–2013 अनुसार वादग्रस्त आराजी नंबर 114, 139, 140, 147, 154 कुल खेत 5 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा के 1/5 हिस्से के खातेदार वादी खातू द्वारा अपने उक्त हिस्से की बक्षीस अपनी पुत्री श्रीमती इटली के पक्ष में की जाना स्पष्ट है, जिसके आधार पर जमाबन्दी [illegible] के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज हो चुका है, जो [illegible] 72 से 2075 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त भूमि खातू द्वारा [illegible] 2013 में अपनी पुत्री को बक्षीस करने के करीब 9 वर्ष पश्चात् व[illegible]22 में यह

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ. उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

कहते हुए वाद प्रस्तुत किया कि उसकी पुत्री ने धोखे से बक्षीसनामा अपने पक्ष में निष्पादित करवाया है, ऐसी स्थिति में बक्षीसनामा व उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण वादी के मुकाबले प्रभावहीन व शून्य प्रभावी घोषित किया जाकर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अर्थात हाल अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 सरकार द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के आधार पर प्रकरण में कुल 5 तनकियां कायम की एवं सभी तनकियों को साबित करने भार वादी के जिम्मे रखते हुए बिना किसी तनकी का विवेचन किये मात्र यह अंकित करते हुए कि प्रदर्श 1 से 3 के अवलोकन से साबित होता है कि वादी विवादित भूमि का खातेदार है और खातेदार अपनी आराजियात को सुरक्षित रखने का अधिकारी है। उक्त आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करते हुए रजिस्टर्ड बक्षीसनामा व नामान्तरकरण को शून्य व प्रभावहीन घोषित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी को रजिस्टर्ड बक्षीसनामा व नामान्तरकरण को शून्य व प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार नहीं है, सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही पंजीकृत बक्षीसनामे को निरस्त किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय को इसकी अधिकार नहीं है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 02–08–2024 अपास्त की जाती है तथा पूर्व इन्द्राज को यथावत रखने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09–09–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:[illegible]9:55 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती इटली पत्नी कान्ति पिता जवरा, जाति मीणा, निवासी सलाखडी, तहसील चीखली, जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम **खातू पिता हीरा डामोर, जाति मीणा, निवासी पियोला, तहसील चीखली, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं......**01 / 2025**..........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... ....**चीखली**......... मुकाम.............मुवर्खे.........**02**...........माह............**08**..........**2024**...........

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......**09**....माह......**09**.........सन् **2025** रूबरू.........**पक्षकारान** व हाजरी.........**श्री सूर्यसिंह राठौड़**..........मिनजानिब अपीलान्ट व...........**श्री प्रवीण शुक्ला**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 02–08–2024 अपास्त की जाती है तथा पूर्व इन्द्राज को यथावत रखने का आदेश दिया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)....रूपये...... X........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**09**.......माह.......**09**..........**2025**........ को जारी किया गया।

9.9.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा ..			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील क[illegible] [illegible] के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested